न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 20/2023 **दायर दिनांकः 13/06/2023**

उनवान

1. बलराम आयु 65 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी धूमेन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 7851817784

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 27.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सकतपुर पटवार हल्का सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 110 का ख.नं. 1044 का रकबा 0.90 हे०, ख.नं. 1045/1158 का रकबा 0.10 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.00 हेक्टर आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ र40 कर्मचारीगण ने प्रार्थी के पिता का फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त सहवन से प्रार्थी का नाम बलराम के स्थान पर मांगीलाल दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के स्थान पर रामा दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड एवं ग्राम पंचायत कनोटिया का प्रमाण पत्र, ग्रामवासी धूमेन पंचनामा व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम बलराम व उसके पिता का सही नाम रामलाल दर्ज है। बिना सहयिता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम सकतपुर की आराजी खाता संख्या 110 में प्रार्थी का नाम मांगीलाल के स्थान पर बलराम व प्रार्थी के पिता का नाम रामा के स्थान पर रामलाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मांगीलाल के स्थान पर सही नाम बलराम तथा प्रार्थी के पिता का नाम रामा के स्थान पर सही नाम रामलाल दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम सकतपुर की आराजी खाता संख्या 110 में प्रार्थी का नाम मांगीलाल के स्थान पर सही नाम बलराम तथा प्रार्थी के पिता का नाम रामा के स्थान पर सही नाम रामलाल दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। साक्ष्य प्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw-1 व Pw-2 के बयान लेखबद्व किये गये। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/28 दिनांक 07.01.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सकतपुर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 110, आधार कार्ड बलराम, राशन कार्ड बलराम, मतदाता पहचान पत्र बलराम, जन आधार कार्ड, पंचनामा ग्राम पंचायत कनोटिया दिनांक 20.04.2022, पंचनामा ग्राम पंचायत कनोटिया दिनांक 04.06.2017, पंचनामा ग्राम पंचायत कनोटिया दिनांक 20.09.2021, पंचनामा दिनांक 04.06.2017 व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल सकतपुर पटवार हल्का सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 110 का ख.नं. 1044 का रकबा 0.09 हे० व ख.नं. 1045/1158 का रकबा 0.10 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.00 हेक्टर आराजी में सह खातेदार मांगीलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:44 IST
Reason: SelfAttested

पिता का नाम रामा के स्थान पर रामलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा सहखातेदार मांगीलाल के स्थान पर बलराम किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल सकतपुर पटवार हल्का सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 110 का ख. नं. 1044 का रकबा 0.09 हे० व ख.नं. 1045/1158 का रकबा 0.10 हे0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.00 हेक्टर आराजी में सह खातेदार मांगीलाल के पिता का नाम रामा के स्थान पर रामलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। प्रार्थी स्वयं अपने स्तर पर भी निर्णय की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा अटरू को भिजवाये। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:44 IST
Reason: SelfAttested